35

न्यायालय में श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (सर्किट कोर्ट रीवा) अध्यक्ष

समक्ष :– डॉ0 मधुर खरे सदस्य

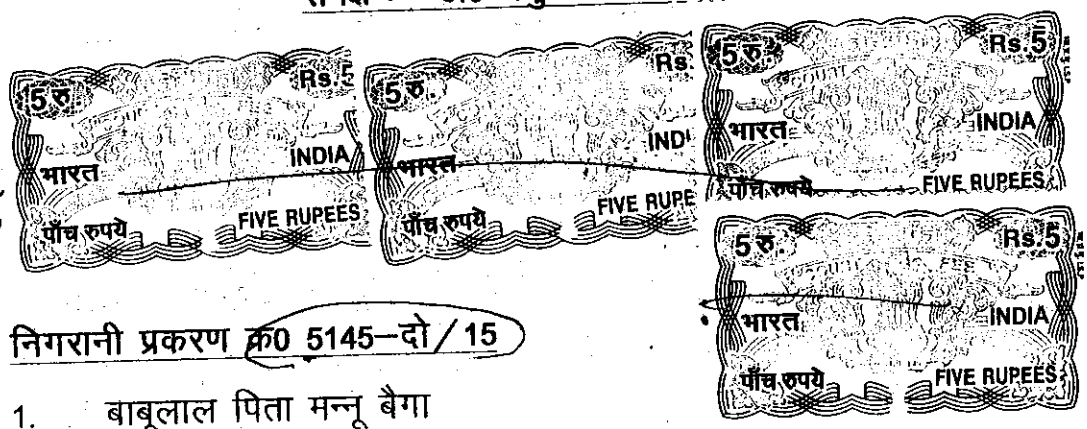

निगरानी प्रकरण क्र0 5145–दो/15

1. बाबूलाल पिता मन्नू बैगा
2. नान बाबू पिता मन्नू बैगा दोनो निवासी ग्राम छुईहाई थाना नौरोजाबाद जिला उमरिया म0प्र0 .....आवेदकगण

बनाम

1. शंकर बैगा पिता बजरिया बैगा
2. सोली बैगा पिता बजरिया बैगा
3. भुगलू बैगा पिता बजरिया बैगा सभी निवासी ग्राम छुईहाई थाना नौरोजाबाद जिला–उमरिया म0प्र0 .....अनावेदकगण

पुर्नविलोकन धारा 51 म0प्र0भू0रा0सं0
प्रकरण क्र0/निगरानी/5145–दो/15
आदेश दिनांक 02.04.2016 न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा समक्ष डॉ0 मधु खरे सदस्य।

मान्यवर,

आवेदकगण/पुर्नविलोकनकर्मा का निम्नांकित पुर्नविलोकन इस प्रकार संक्षिप्त सार है :–

1. यह कि श्रीमान् के न्यायालय में निगरानी पेश की गई थी कि तहसीलदार तहसील बांधवगढ़ राजस्व न्यायालय नौरोजाबाद के राजस्व प्र0क्र0 15/अ–19(1)/1972–73 मे पारित आदेश दिनांक 19.07.1976 की

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 3348–दो/16 जिला उमरिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04–4–2017	आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। यह रिव्यु प्रकरण इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 5145–दो/2015 में पारित आदेश दिनांक 02–4–2016 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदिका की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (एस0एस0 अली) सदस्य	